

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

तारीख हुक्म

3-5-18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान
 च्याय आपणे द्वारे 20/18 में रखे जाने
 योग्य पायी जाने पर अन्य स्थल अटल
 सेवा केन्द्र ~~धारा 17-18/18~~ में पेश हो।

05/10/18

पत्रावली पेश हुई। वकालत फरिफा
~~अन्य/अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी लेंगे~~
~~अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अभियान~~
 फरिफाई हेतु दिनांक 14/01/19 को पेश हो।

14/01/19

पत्रावली पेश हुई। वकालत फरिफा
~~अन्य/अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी लेंगे~~
 अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अभियान
 फरिफाई हेतु दिनांक 12/07/19 को पेश हो।


12/07/19

पत्रावली पेश हुई। वकालत फरिफा
~~अन्य/अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी लेंगे~~
 अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अभियान
 फरिफाई हेतु दिनांक 27/10/19 को पेश हो।

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर पत्र

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

23.10.19 की सार्वजनिक अज्ञापना होने के कारण आल
पत्रावली पेशी में भी जारी। जारी आधीवस्था
अनुसारचित। प्रविवादी आधीवस्था द्वारा वहल पत्रावली
की जारी।
वहल के तथ्यों पर गौर किया गया।
आधीवस्थाओं का तर्क रहा कि आधीवस्था सं. 1 व 2 द्वारा
निम्न सूचना लिये ही दि. 20.7.11 की वैधान्या
सुधारित कराया है। इन्होंने सिद्ध पर सूचना का प्रस्ताव
होने का स्थान करते हुये न्यायांतरण कराकर करने
का अनुमोदित माहा गया।
आधीवस्थाओं का आग्रह रहा कि इनके द्वारा पंजीकृत
वैधान्या के आधार पर भूमि प्रय की जारी है, जो इसके
आधार पर सूची वैधान्या के न्यायांतरण की निरस्त
करने की शक्तियाँ इस न्यायालय में निहित नहीं हैं।
इसका पत्रावली के तथ्यों पर गौर किया गया।
निर्वाही के पुरस्तावित पत्रावली अनुहार पंजीकृत
वैधान्या के आधार पर प्रयभूष भूमि के स्वच्छता
में शान्तिन करने की Authority राखल गया।
का प्राप्त नहीं है।
आधीवस्थाओं का यदि सूचना स्वच्छता अनुहार पत्रावली
होने का सुझाव गया, तो वैधान्या निरस्त करके
का वाद मात्र अनुमोदित प्राप्त कर सकते हैं।
अतः आधीवस्था शान्तिन होने के कारण खारिज
की जाती है।
निर्वाही द्वारा दि. 30.10.19 को सूची गया।
में सुनाया गया।



Dr
30.10.19
(रंजीत सिंह)
अधीवस्था
अधीवस्था (सं. 1)